

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ


(राजकीय केन्द्रीय औषधि भण्डार)

पत्रांक:-8फ/आर0सी0-891/709

लखनऊ : दिनांक: 15 मई, 2018

—:कार्यालय ज्ञाप:—

शासनादेश संख्या-652/पांच-1-2018-5(36)/2017 दिनांक 19. अप्रैल, 2018 के आदेशों के क्रम में केन्द्रीय औषधि (भण्डार) स्तर से आमंत्रित स्ट्रिप पम्प से सम्बन्धित निविदा संख्या-8फ/आर0सी0-891/331 दिनांक-20 अप्रैल, 2017 को तत्कालिक प्रभाव से शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 19. अप्रैल, 2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित " दवाओं के सम्बन्ध में कोई नया दर अनुबंध सी0एम0एस0डी0 द्वारा नहीं किया जायेगा। यदि कोई नया टेण्डर दर अनुबंध के सम्बन्ध में सी0एम0एस0डी0 द्वारा प्रारम्भ किया गया है, उसको उसी स्तर पर निरस्त कर दिया जाये।", के आधार पर निरस्त किया जाता है।



निदेशक (भण्डार)

पृष्ठांकन-8फ/ आर0सी0-891/

तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित तिथि को तत्काल प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को महानिदेशालय के सूचना-पट पर चम्पा कराने का कष्ट करें।
3. इण्डियन ड्रग मैनुफैक्चरर एसोसियेशन, 102 पूनम चैम्बर, 'ए' विंग फर्स्ट फ्लोर डा0ए0वी0 रोड वारली मुम्बई-400018
4. बल्क ड्रग मैनुफैक्चरर एसोसियेशन, सी-25 इन्डसट्रियल स्टेट सनथ नगर हैदराबाद-500018
5. ड्रग नियंत्रक, जगत नारायण रोड उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सभी राज्य के ड्रग नियंत्रकों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
6. ओ0आई0सी0सी0, उत्तर प्रदेश, शासन को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा का निरस्तीकरण विभागीय वेबसाइट पर तत्काल लोड करने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित फर्म।
8. गार्ड फाइल।


निदेशक (भण्डार)